''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2005—अग्रहायण 4, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-1-04/2003/एक/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/7/2001—एआईएस (I), दिनांक 10-2-2005 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम—6 (1) के अंतर्गत श्री आई. सी. पी. केशरी, भा.प्र.से. (M.P. 1988) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्री आई. सी. पी. केशरी, भा.प्र.से. (M.P. 1988) की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31-10-2005 को समाप्त होने से उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (मध्य प्रदेश शासन) को दिनांक 31-10-2005 (अपरान्ह से) वापस लौटाई जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-1-16/2004/एक/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/21/2005—एआईएस (I), दिनांक 13-10-2005 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम—5 (2) के अंतर्गत श्रीमती अमृता सोनी, भा.प्र.से. (R R : 2003) की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से उत्तरप्रदेश राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-1-25/2004/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-1-2005 के द्वारा श्री एम. आर. ठाकुर, भा.प्र.से. (1991) को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 15100-400-18300) दिनांक 1-1-2005 से प्रदाय किया गया था.

2. चूंकि श्री ठाकुर से कनिष्ठ श्री दुर्गेश मिश्रा, भा.प्र.से. (1991) को दिनांक 1-1-2004 से प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है. अतः उक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए श्री एम. आर. ठाकुर, भा.प्र.से. (1991) को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 15100-400-18300) का लाभ दिनांक 1-1-2004 से प्रदाय किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ-2-1/2005/1/6.—राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 द्वारा गठित "छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग" के लिए निम्नानुसार पदों का सेटअप (अमला) स्वीकृत किया जाता है :—

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	पद संख्या (3)	वेतनमान (4)
1.	उप सचिव	1	12750—16500
2.	अवर सचिव	1	10000—15200

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	स्टाफ आफिसर	2	10000—15200
4.	निज सहायक	4	05500—09000
5.	जन संपर्क अधिकारी	1	08000—13500
6.	अनुभाग अधिकारी	1	06500—10500
7.	लेखाधिकारी	1	08000—13500
8.	सहायक ग्रेड-1	1	04500—07000
9.	सहायक ग्रेड-2	1	04000—06000
10.	सहायक ग्रेड-3	1	03050—04590
11.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	2	03050—04590
12.	सहायक प्रोग्रामर	1	03050—04590
13.	वाहन चालक	5	03050—04590
14.	भृत्य	10	02550—03200
15.	चौकीदार/फर्राश	2	02550—03200
	योग	34	

2. इस हेतु वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 1246/बजट-5/वित्त/चार/2005 दिनांक 5-11-2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से., संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 28-11-2005 से 9-12-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27-11-2005 एवं 10, 11 दिसम्बर 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 16-11-2005 से 18-11-2005 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 19 एवं 20 नवम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रे, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रे, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-35/दो/गृह/05.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र ''प्रक्रिया तथा लेखा-प्रश्नपत्र-3 (पुस्तकों सहित)'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्रीमती शालिनी रैना	उप वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-25/दो/गृह/05.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती तुलसी जायसवाल	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-9-32/दो/गृह/05.—सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई, 2005 को प्रश्नपत्र "लेखा प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डा. चन्द्रप्रकाश मिश्रा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उच्चस्तर
2.	डा. एम. बी. प्रसाद विश्वकर्मा	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
3.	डॉ. एच. पी. द्विवेदी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2005

फा. क्र. 8451/डी-2617/21-ब/छ.ग./05.—छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 के नियम-3 के उप-नियम (ड) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से,जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर एवं बस्तर के सभापतियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है.

F. No. 8451/D-2617/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (m) of Rule 3 of the Chhattisgarh State Legal Service Authority Rule, 2002 in consultation with the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government nominates Chairman, District Legal Service Authority, Bilaspur and Baster, as Ex-officio Member of the State Legal Service Authority with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 9-72/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23, 1973) की धारा 13 (2) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-21-बत्तीस/97 भोपाल दिनांक 1 जनवरी, 1997 द्वारा गठित रायगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं.

अनुसूची

रायगढ़ निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चिराईपानी, खैरपुर, किसनपुर, उरदना, भेलवाटिकरा तथा रेगड़ा, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम रेगड़ा, बोइर दादर, गोवर्धनपुर, छोटे अतरमुड़ा, बड़े अतरमुड़ा, गुड़गहन एवं दर्रामुड़ा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम दर्रामुड़ा, गढ़उमरिया, डुमरपाली, कुजेडबरी तथा कोड़ातराई, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कोड़ातराई, पटेलपाली, छुहीपाली, ननसिया, केनापाली, जोरापाली, बरमुड़ा, कोसमपाली, कोकड़ीतराई तथा चिराईपानी, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 9-81/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23, 1973) की धारा 13 (2) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विभाग की अधिसूचना क्र. 2957-1-90-तैंतीस 73 भोपाल दिनांक 1 मार्च 1994 द्वारा गठित अंबिकापुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं.

अनुसूची

अंबिकापुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अजबनगर, अजिरमा, भगवानपुर, मेन्ड्राखुर्द, डिगमा एवं फुडूरडिहारी, अंबिकापुर एवं मायापुर, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मायापुर, बधियाचुवां, श्रीगढ़ एवं लुचकी, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम लुचकी, पचपेढ़ी एवं लक्ष्मीपुर, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम लक्ष्मीपुर, गंगापुर, नमनाकला, किसुनपुर, अजिरमा, महावीरपुर एवं अजबनगर, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 9-11/32/2005.—चूंकि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन भाटापारा निवेश क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप राज्य शासन को प्रस्तुत किया है.

अतः राज्य शासन सर्वसाधारण को सूचित करती है कि इस विभाग की पूर्व सूचना क्रमांक 3073/वि.यो.-14/न.नि.वि./04, रायपुर दिनांक 19 जुलाई 2004 के तारतम्य में अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन केवल निम्नलिखित उपांतरणों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करती है. उपांतरणों सहित भाटापारा विकास योजना के ब्यौरे कलेक्टर कार्यालय, रायपुर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् भाटापारा के कार्यालय में कार्यकारी दिवसों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

उपांतरण का विवरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टयर में (लगभग)	प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग का विवरण	उपांतरित भूमि-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भाटापारा	151/4, का भाग 139/2क, घ, (भाग) 168 का भाग 168/5 का भाग	0.47	कृषि	आवासीय
2.	धौराभाटा	114/1, 114/2 115/3 का भाग 115/2 का भाग 115/1, 114/3 114/4, 117 116/1, 116/3, 116/2 का भाग 116/5, 119 118/2, 118/1, 120, 130, 131, 132, 133 का भाग 121	14.79	कृषि	आवासीय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 9976 क /भू-अर्जन/04/अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	कसपुर	0.13	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना बांध संभाग क्रमांक 2, रूद्री.	जरहीडीह माइनर क्रमांक 1 के निर्माण कार्य हेतु.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 9978 क /भू-अर्जन/05/अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	कसपुर	0.78	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना बांध संभाग क्रमांक 2, रूद्री.	राजागुड़ा बांध माइनर के निर्माण कार्य हेतु.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 9980 क/भू-अर्जन/30/अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	बरारी	0.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी, कोड, नंबर 90.	बरारी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 9982 क/भू-अर्जन/31/अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	गाड़ाडीह	0.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी, कोड नंबर 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजनांतर्गत माइनर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 9984 क /भू-अर्जन/01/अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	नारधा	0.985	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी, कोड नंबर 90.	पैरी बायीं तट नहर के नारधा वितरक नहर के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 9988 क /भू-अर्जन/03/अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	झूमरपाली	1.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी, कोड नंबर 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजनांतर्गत माइनर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्र. 9986 क /भू-अर्जन/02/अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	कुल्हाड़ीकोट	2.076	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी, कोड नंबर 90.	अमलीडीह उद्वहन सिंचाई योजनांतर्गत माइनर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शांतनु, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन 5252/1 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	धारासीव प. ह. नं. 11	7.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग-कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय के धारासीव माइनर नहर निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन 5254/3 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बेलटिकरी प. ह. नं. 12	0.690	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय के बेल टिकरी शाखा नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन 5255/4 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	धारासिव प. ह. नं. 11	0.603	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय योजना के बेलटिकरी शाखा नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन 5253/5 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	रिकोटार प. ह. नं. 11	1.384	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय के ठाकुरदिया डोकरी डीह शाखा नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/6/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	मुनगापदर	0.120	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) बस्तर जिला, जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	करनपुर	0.704	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) बस्तर जिला, जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/8/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बाखरा	0.283	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) बस्तर जिला, जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2005

क्रमांक /क/भू- अर्जन/9/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	बोटीकनेरा	0.169	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) बस्तर जिला, जगदलपुर.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

प्रकरण क्रमांक/02/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	छुछुभाठा प.ह.नं. 12	0.258	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ./स.) जिला-जांजगीर-चांपा.	ग्राम किरारी से कोटमी तक सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 351/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-जाजंग, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/2	0.093
238/6, 385/1	0.125
404/1, 5	0.004
687/2	0.028
731/1	0.024
1009/3, 1014/4	0.045
1923/2	0.020
योग 7	0.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जुड़गा वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 352/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-पतेरापाली कला, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
584/1	0.040
580/1, 581/1	0.065
580/5, 581/5	0.073
580/6, 581/6	0.065
580/2	0.081
573	0.316
563/1, 2, 3	0.089
562/2	0.073
547/1	0.137
546	0.182
योग 10	1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेम्पा भांठा माइ. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 353/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बैलाचुवा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
03	0.016
97/2	0.060
योग	0.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खा. श. नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 354/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
119	0.040
429	0.081
679/1	0.061
योग	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिधौरी माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 355/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जगदल्ला, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/1से 4	0.154

(1)	(2)
65/1	0.057
65/2	0.073
64, 66	0.008
58/1	0.008
63/1, 2	0.121
62/2	0.004
75/1, 2	0.057
74/1	0.073
74/2	0.012
77	0.198
78	0.020
योग 12	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढोलनार माइनर नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 356/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
403/1	0.202
403/8	0.101
403/6	0.073
403/9	0.101
योग	0.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 357/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेसीपत, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.169 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
351/7	0.120
458/7	0.049
योग	0.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2004-2005/1631.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिरहुलपाली, प.ह.नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.995 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
229/5	0.178
233/2	0.142
233/3	0.178
233/4	0.263
233/5	0.173
254/1 छ, 254/2 छ	0.304
254/1 ङ, 254/ 2ङ	0.125
254/1 झ, 254/2 झ	0.227
254/1 ज, 254/2 ज	0.405
योग	1.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोटरापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.393 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.243
84	0.150
योग 2	0.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रायगढ़ लोईंग मार्ग के कि.मी. 12/4 पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोईंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185	0.081
186/2	0.170
योग 2	0.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रायगढ़ लोईंग मार्ग के 12/4 कि.मी. पर लोईंग पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर बड़े
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/2	0.255
181	0.024
183	0.096
184	0.436
193/2	0.162
194/1	0.073
196	0.421
योग 7	1.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सी. एम. एच. ओ. भगवानपुर से कामर्स कालेज तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बैकुंठपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.946 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/6 क	0.283
2/15	0.109
2/9	0.045
56/2	0.020
16/3	0.032
57/7	0.012
2/10/1, 5/5	0.247
16/5	0.008
16/6	0.020
2/10/2, 5/5	0.028
2/10/2, 5/5	0.142
योग 11	0.946

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सी. एम. एच. ओ. भगवानपुर से कामर्स कालेज तक पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोवर्धनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.354 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	13/1	0.056
	13/2	0.206
	14/1	0.296
	14/2	0.096
	14/3	0.142
	21/1	0.032
	21/2	0.081
	22/1/1	0.174
	22/3	0.160
	22/5	0.066
	22/8	0.024
योग	11	1.354

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सर्किट हाउस उर्दना से रामपुर बड़े गावेर्धनपुर मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कसाईपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	944/1	0.243
योग		0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पुसौर, रेंगालपाली मार्ग के कि.मी. 7/6 पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़उमरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.493 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
143/1542	0.368
143/1543	0.125
योग 2	0.493

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-के.आई.टी. हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 नवम्बर 2005

क्रमांक 8974/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सोनेसरार, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
305/1	0.36
306/1	0.53
योग 2	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लमानी व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 नवम्बर 2005

क्रमांक 8975/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव कला, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
874	0.27
881	0.06
889/3	0.06
1001	0.04
997	0.01
533	0.14
1029	0.06
541	0.10
542/2	0.09
523	0.03
876/1	0.04
883	0.02

(1)	(2)
889/4	0.03
996/3	0.03
999	0.02
535	0.02
739/1	0.10
527	0.06
543	0.22
534	0.03
877	0.02
889/1	0.01
887	0.03
996/2	0.04
998	0.01
1007	0.08
739/2	0.12
522	0.07
540	0.02
525	0.02
878	0.05
889/2	0.03
995/2	0.03
1000	0.04
1038	0.38
1031	0.07
739/3	0.12
526	0.09
528	0.02
529	0.03
योग	2.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुतेड़ा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहरनाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9248/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीटिकुल, प.ह.नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.930 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	0.093
10	0.004
11	0.101
13/1	0.016
15/1	0.121
15/6	0.077
15/7	0.121
80/3	0.105
80/4	0.049
86/1	0.172
87/4	0.113
88/2	0.081
88/3	0.299
90/1	0.016
92	0.141
93/1	0.145
94/2	0.336
94/4	0.121
135	0.105
136	0.283
139/1	0.008
140	0.056
137/1	0.008
151	0.032
152/1	0.125
152/2	0.081
153/3	0.105
154	0.064
155/1	0.054
155/2	0.055
160/5	0.048
160/6	0.004
160/7	0.313
164/5	0.109

(1)	(2)
169/1	0.078
169/2	0.056
169/3	0.040
157/1	0.004
170/1	0.260
173/2	0.012
174/1	0.073
174/2	0.101
174/3	0.166
201	0.105
202/1	0.170
109/3	0.304
योग 46	4.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के खुर्सीटिकुल लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बैराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक 9249/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-कन्हारपुरी, प.ह.नं. 64

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.070 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.601
21	0.169
22	0.093
23	0.093
24/1	0.028
24/2	0.045
24/3	0.020
27	0.028
40/1	0.053
183	0.004
40/2	0.113
28	0.012
31	0.081
221/4	0.081
32	0.129
39	0.121
40/3	0.113
114	0.182
110	0.113
111	0.141
220/2	0.012
112/1	0.004
113	0.032
118	0.004
152	0.040
154/2	0.008
153	0.141
154/1	0.045
159/1	0.040
196/2	0.128
159/2	0.153
159/3	0.160
196/1	0.128
159/4	0.040
179/1	0.153
179/2	0.081
184	0.081
185	0.040
194/1	0.012
194/2	0.036
194/3	0.049
195	0.169
197	0.053
221/3	0.080
192	0.161
योग 45	4.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के कन्हारपुरी लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बैराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2005

क्रमांक 4554/अ.वि.अ./भू.अ./प्र. क्र. 12/अ-82/ वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-मटियाडीह, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.51 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
491	0.07
492	0.76
493	0.82
527	0.80
530	0.93
523	0.13
योग 6	3.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मोहदी-टार बांध योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

रा. प्र. क्र. 11/अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मजगांव, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.773 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
374	0.008
365, 366/1, 372/2	0.073
372/1	0.065
366/2, 367/2	0.267
368/1	0.016
357, 358	0.263
315, 316, 317, 318, 355/1, 356	0.081
योग 7	0.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

रा. प्र. क्र. 12/अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-बलौदी, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.373 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
417/5, 7	0.016
366/1	0.324
364/2	0.081
216	0.036
376, 377	0.134
378, 379/1, 379/2	0.150
361	0.057
360	0.154
217	0.008
215	0.032
212/2	0.012
209	0.061
428	0.085
432	0.061
433	0.093
416	0.069
योग 16	1.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन के नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

रा. प्र. क्र. 13/अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-नहना, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.579 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
223	0.089
224/1	0.101
356	0.049
225	0.085
226/1	0.126
279/1	0.146
285, 286, 287	0.049
281	0.089
284/1	0.093
274	0.053
275	0.093
224/3	0.077
341	0.190
351/1	0.040
352	0.032
353	0.154
354	0.065
355	0.040
364/2	0.008
योग 19	1.579

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन के नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

रा. प्र. क्र. 18/अ 82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-जोता, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.799 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
154	0.008
150/2	0.040
148/1, 2	0.162
190/1	0.101
190/2	0.032
189	0.134
187	0.012
113	0.004
114/2	0.109
188	0.162
198	0.186
201	0.178
117/1	0.162
108	0.202
149/2	0.097
109	0.077
111/3	0.057
111/4	0.016
200/1	0.032
200/2	0.016
149/1	0.012
योग 21	1.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th October 2005

No. 622/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The Order No. 606 Confdl./2005/II-3-1/2005 dated 4th October 2005 so far as it relates to the transfer and posting of Shri Sanjay Kumar Soni,. III Civil Judge Class-II, Jagdalpur as Civil Judge Class-I, Sukma is hereby, cancelled.

The following Judicial Officers are hereby transferred from the place as specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	to (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Hemant Kumar Agrawal, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Khairagarh	Sakti	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Sakti	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Sanjay Kumar Soni, III-Civil Judge, Class-II	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar	III-Civil Judge Class-I
4.	Shri Jantaram Banjara, II Addl. Judge to the Court of Civil Judge, Class-I.	Raipur	Sukma	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I

It is directed that Shri Hemant Kumar Agrawal, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, Khairagarh shall not be entitled to any T.A./D.A. since the transfer has been made on his own request.

Bilaspur, the 24th October 2005

No. 624/Confdl./2005/II-2-I/2005.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is transfered from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office, and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	to (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Lochan Ram Thakur, VI Additional District & Sessions Judge.	Durg	Baikunthpur	Surguja	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th October 2005

No. 626/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following Ad-hoc Additional District & Session Judges serving in Fast Track Courts as specified in column No. 2 presently posted at the places specified in column No. 3 of the table below are directed to report in the Judicial Officers Training Institute (J.O.T.I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 7th November 2005 before 4.30 P.M. for attending the VIII Refresher Course-05-JI-VIII R.C/HJ on "JUDICIAL EDUCATION" to be held on 8th November 2005 and 9th November 2005 and also classes on Stress Management from 5.30 PM to 7.00 PM on both days :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Additional District Judge (F.T.C.) (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Gorelal Sonwani	Additional District Judge (F.T.C.), Kawardha
2.	Shri Makardhwaj Jagdalla	III Additional District Judge (F.T.C.), Raigarh
3.	Shri Bhuneshwar Ram	Additional District Judge (F.T.C.), Kanker
4.	Shri Veer Singh Salam .	IX Additional District Judge (F.T.C.), Bilaspur
5.	Shri Kanwar Lal Charyani	II Additional District Judge (F.T.C.), Ramanuj-ganj.
6.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar	X Additional District Judge (F.T.C.), Bilaspur
7.	Shri Noordeen Tigala	IX Additional District Judge (F.T.C.), Raipur
8.	Shri Narendra Singh Chawla	VIII Additional District Judge (F.T.C.), Bilaspur
9.	Smt. Minakshi Gondaley	VII Additional District Judge (F.T.C.), Durg
10.	Shri Ram Kumar Tiwari	X Additional District Judge (F.T.C.), Raipur
11.	Shri Jagdamba Rai	III Additional District Judge (F.T.C.), Ambikapur
12.	Shri Arvind Kumar Verma	XII Additional District Judge (F.T.C.), Raipur
13.	Smt. Sushma Sawant	XIV Additional District Judge (F.T.C.), Raipur
14.	Shri Doctorlal Katakwar	Additional District Judge (F.T.C.), Mungeli.
15.	Shri Reshamlal Kurre	VIII Additional District Judge (F.T.C.), Durg
16.	Shri Vijay Kumar Ekka	IX Additional District Judge (F.T.C.), Durg
17.	Shri Rakesh Bihari Ghore	VIII Additional District Judge (F.T.C.), Raipur.
18.	Shri Anand Ram Dhruv	XI Additional District Judge (F.T.C.), Durg
19.	Shri Ganesh Ram Sande	IV Additional District Judge (F.T.C.), Raigarh

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

Bilaspur, the 25th October 2005

No. 5156/Vigilance/2005).—WHEREAS a Department at Enquiry is contemplated in public interest against Shri Angus Baruk Toppo the then Civil Judge Class I & Judicial Magistrate First Class, Sukma District Dantewara, presently posted as V Civil Judge Class I, Bilaspur (C.G.) for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on Hon'ble the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966. Hon'ble the High Court hereby places Shri Angus Baruk Toppo. The then Civil Judge Class I & Judicial Magistrate First Class, Sukma, District Dantewara presently posted as V Civil Judge Class I, Bilaspur (C.G.) under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry.

By order of Hon'ble the High Court,
R. N. CHANDRAKAR, Registrar (Vigilance).

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 5011/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 5034 तीन-6-1/2000 दिनांक 23 सितम्बर 2002 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट, 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेलभूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के जांच एवं विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2117/इक्कीस-ब (छ.ग.)/2001 दिनांक 16 मई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11(1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	श्री पंकज कुमार सिन्हा	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा-स्थान अंबिकापुर

Bilaspur, the 18th October 2005

No. 5011/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in Supersession of its Notification No. 5034/III-6-1/2000, dated 23rd September 2002 the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Chhattisgarh under Section 11(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs, Department Notification No. 2117/21-B (C.G.)/2001 dated 16th May 2001 for enquiry and trial of offences

under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through the territories of Civil District shown in Columns No. (4) of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office.

TABLE

S.No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Head Quarter	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Pankaj Kumar Sinha	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh, Raipur, Surguja at Ambikapur.

बिलासपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 5019/तीन-6-7/2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 3374 तीन-6-7/2000 दिनांक 7 अगस्त 2004 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ कु. सत्यभामा जायसवाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक 49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

Bilaspur, the 19th October 2005

No. 5019/III-6-7/2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in Supersession of its Notification No. 3374/III-6-7/2000, dated 7th August 2004 the High Court of Chhattigarh appoints Ku. Satyabhama Jaiswal, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate, First Class (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/Ch, dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offenes investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Capter-III of the Prevention of Coruption Act, 1988 (49 of 1988).

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

क्रमांक 5188/तीन-6-2/2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री प्रवीण कुमार प्रधान, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोरा (तत्कालीन न्यायिक मैजिस्ट्रेट, बेमेतरा) जो जिला रायगढ़ को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

Bilaspur, the 25th October 2005

No. 5188/III-6-2/2005.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Praveen Kumar Pradhan, Judicial Magistrate First Class, Gharghora (then Judicial Magistrate First Class, Bemetara), District Raigarh to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

बिलासपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

क्रमांक 5190/तीन-6-2/2005.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री विजय कुमार होता, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालोद जिला दुर्ग को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

Bilaspur, the 25th October 2005

No. 5190/III-6-2/2005.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Vijay Kumar Hota, Judicial Magistrate First Class, Balod, District Durg to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the High Court,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar.

Bilaspur, the 25th October 2005

No. 5159/I-7-3/2005 (Pt. Ist).—It is hereby notified that 26th October 2005 shall be a holiday on account of "Fifth Aniversary of Chhattisgarh State Formation Day" for the High Court and its Registry.

By orders of Hon'ble the High Court,
D. K. TIWARI, Additional Registrar (Est.)